तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म ... में
	तथा खाता सं. 270 की जमाबन्दी सम्वत 2063-66 ग्राम देवपुरा की भूमि ख. सं. 1499/206, 1506/208 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार मदन लाल पुत्र भंवर लाल दर्ज है तथा नामा. से क्रेता भी खातेदार दर्ज हो चुके है यहाँ वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ख. सं. 1509/208 व 1510/209, 1511/209 ग्राम देवपुरा पर अतिक्रमण किया जा रहा है अतः उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 का जहाँ तक प्रश्न है तो इनके द्वारा उक्त आराजी में जर्ये रजि. विक्रय पत्र 32x50 फीट का भूखण्ड क्रय किया जाना एवं उसी पर निर्माण कार्य करवाया जाना प्रकट किया जा रहा है पत्रावली के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया यही जाहिर है कि भूमि अभी भी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में संयुक्त रूप से दर्ज है इसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है साथ ही राजस्व रेकार्ड में जिन नामा. का हवाला है उनसे उक्त आराजी को भूखण्डो में बेचान किया जा चुका है भूमि पर वादी कृषि कार्य कर रहा हो इसका भी कोई प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं है अतः प्रकरण में यह तथ्य मुख्य रूप से प्रकट हो रहा है कि उक्त भूमि को पक्षकारों द्वारा भूखण्डों में विभक्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा किये गये वाद कथन प्रमाणित नहीं होते है तथा भूमि का उपयोग आवासीय भूखण्डों में हो जाने से वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी नहीं रहा है अतः वाद वादी प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है [illegible]	